न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा (जिला दौसा)

पीठासीन अधिकारी का नाम	:	मूलचन्द लूणिया, (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या	:	22/2023
दायर दिनांक	:	23,06.2023
निर्णय दिनांक	:	27.01.2025

1. रोशन पुत्री विजयसिंह जाति गुर्जर, निवासी भंडाना तहसील दौसा जिला दौसा

वादी

बनाम

1. धारासिंह पुत्र विजयसिंह जाति गुर्जर, निवासी भंडाना तहसील दौसा जिला दौसा
2. रामसिंह पुत्र विजयसिंह जाति गुर्जर, निवासी भंडाना तहसील दौसा जिला दौसा
3. लाडादेवी पत्नी विजयसिंह जाति गुर्जर, निवासी भंडाना तहसील दौसा जिला दौसा
4. रामधन पुत्र भौरया जाति गुर्जर, निबासी भंडाना तहसील दौसा जिला दौसा
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दौसा
6. उप पंजीयक दौसा
7. बैंक ऑफ बडौदा भंडाना जरिये शाखा प्रबन्धक

प्रतिवादीगण

वाद तकास्मा व स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित अधिवक्ता : श्री प्रदीप कुमार विजयवर्गीय (अधिवक्ता वादी)
श्री मुकेश कसाना (अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4)

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड मजिस्ट्रेट दौसा

–: निर्णय :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी द्वारा एक वाद तकास्मा व स्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर कथन किया गया कि ग्राम भण्डाना तहसील दौसा जिला दौसा स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1264, 1708/1261, 1710/1262, 1712/1263, 1714/1265, 1717/1265, 1720/1267 कुल किता 7 कुल रकबा 0.7775 है. के 1/8 हिस्से की खातेदार व काबिज काश्तकार वादिनी है तथा 1/8 हिस्से की खातेदार व काबिज काश्तकार प्रतिवादी नम्बर 3 तथा 3/8 हिस्से का खातेदार व काबिज काश्तकार प्रतिवादी नम्बर 1 व 3/8 हिस्से का खातेदार व काबिज काश्तकार प्रतिवाद नम्बर 2 है। इसी प्रकार ग्राम भण्डाना तहसील दौसा जिला दौसा स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1707/1261, 1709/1262, 1711/1263, 1716/1265, 1722/1267 कुल किता 5 कुल रकबा 0.2000 है. के 1/16 हिस्से की खातेदार व काबिज [illegible] वादिनी तथा 3/16 हिस्से का खातेदार व काबिज काश्तकार प्रतिवादी नम्बर 1 [illegible] हिस्से का खातेदार व काबिज काश्तकार प्रतिवादी नम्बर 4, 3/16 हिस्से का [illegible] व काबिज काश्तकार प्रतिवादी नम्बर 2 व 1/16 हिस्से की [illegible] काश्तकार प्रतिवादी [illegible] है। तथा वादी एवं प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 4 अपने–अपने हिस्से अनुसार उक्त भूमि पर काबिज हैं किन्तु वादिनी व प्रतिवादीगण के मध्य उक्त भूमि का विधिवत् बटवारा नहीं हुआ है। वादिनी के बाहमी तकास्मे व वादिनी के हिस्से कब्जे की भूमि से प्रतिवादीगण का कोई ताल्लुक व

Signature Not Verified
Digitally signed by Moolchand Luniya
Date: 2025.10.08 17:38:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज.)

वास्ता नहीं है परन्तु प्रतिवादीगण के मन में बेईमानी आयी हुई है और वो वादी के वाहमी तकास्मे से वादी के कब्जे की भूमि में दखल देना चाहते हैं। दिनांक 06.06.2023 को वादिनी बाहमी तकास्मे से अपने कब्जे की भूमि पर थी। प्रतिवादी संख्या 1 अपने साथ कई लोगों को लेकर मौके पर आया और वादिनी के कब्जे की भूमि को दिखाने लगा तो वादिनी ने पूछा कि क्या दिखा रहे हो तो उक्त लोगों ने धमकी दी कि उक्त तुम्हारे कब्जे की भूमि को तुम खाली करो। हम उक्त भूमि का विक्रय करेंगे। वादी ने प्रतिवादी नम्बर 2 लगायत 4 को भी मौके पर बुला लिया तथा सभी प्रतिवादीगण से कहा कि उक्त भूमि का हिस्से अनुसार तकास्मा करवा लो और लगान अलग करवा लो व खाता अलग–अलग करवा लो। अतः वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि निम्न अनुतोष प्रदान करने की कृपा करें :–

1. यह कि ग्राम भण्डाना तहसील दौसा जिला दौसा स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1264, 1708/1261, 1710/1262, 1712/1263, 1714/1265, 1717/1265, 1720/1267 कुल किता 7 कुल रकबा 0.7775 है. के वादिनी के 1/8 हिस्से का व खसरा नम्बर 1707/1261, 1709/1262, 1711/1263, 1716/1265, 1722/1267 कुल किता 5 कुल रकबा 0.2000 है. के वादिनी के 1/16 का सरस–नरस के आधार पर तकास्मा फरमाकर लगान अलग कायम कर खाता अलग कायम करने की कृपा करें।
2. यह कि प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाने की कृपा करें कि ग्राम भण्डाना तहसील दौसा जिला दौसा स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1264, 1708/1261, 1710/1262, 1712/1263, 1714/1265, 1717/1265, 1720/1267 कुल किता 7 कुल रकबा 0.7775 है. के वादिनी के 1/8 हिस्से का व खसरा नम्बर 1707/1261, 1709/1262, 1711/1263, 1716/1265, 1722/1267 कुल किता 5 कुल रकबा 0.2000 है. के वादिनी के 1/16 हिस्से के मौके पर कब्जे काश्त में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 स्वयं अपने एजेन्टों नौकरों रिश्तेदारों से कोई दखल नहीं पहुँचावे और वादिनी को काश्त पैदा कर खाने में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करे व बिना तकास्मा हुए बिना किसी भी विशिष्ट भाग पर कोई निर्माण कार्य नहीं करे व किसी भी हिस्से का किसी अन्य को विक्रय नहीं करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गयी। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 द्वारा संयुक्त रूप से एक राजीनामा प्रस्तुत कर प्रकरण में प्राथमिक डिक्री जारी करने एवं कुर्रेजात रिपोर्ट मँगवाने हेतु अपनी सहमति दी गयी। अतः वादी का वादपत्र प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री दिनांक 01.07.2024 को जारी की गयी तथा तहसीलदार दौसा को निर्देशित किया गया कि प्रश्नगत आराजी खसरा नम्बर 1264, 1708/1261, 1710/1262, 1712/1263, 1714/1265, 1717/1265, 1720/1267 कुल किता 7 कुल रकबा 0.7775 है. एवं खसरा नम्बर 1707/1261, 1709/1262, 1711/1263, 1716/1265, 1722/1267 कुल किता 5 कुल रकबा 0.2000 है. वाके ग्राम भंडाना तहसील दौसा का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के मध्य जमाबन्दी में दर्ज हिस्से अनुसार सरस–नरस के आधार पर मा. राजस्व मण्डल राज. अजमेर के पत्रांक 10546 दिनांक 05.10.2020 द्वारा प्रदत्त निर्देशों की पालना करते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार कर तीन प्रतियों में इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये जावें। तहसीलदार दौसा ने अपने पत्रांक [illegible]/2024/3262 दिनांक 22.07.2024 द्वारा कुर्रेजात न्यायालय के समक्ष पेश किये। प्रकरण में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 द्वारा पुनः संयुक्त रूप से एक राजीनामा प्रस्तुत कर कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार प्रकरण में अन्तिम डिक्री फरमाने में अपनी सहमति दी गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Moolchand Duniya
Date: 2025.10.08 17:38:34 IST
Reason: SelfAttested

बहस उभय पक्ष बहस सुनी गयी। बहस के दौरान उभय पक्षों द्वारा कुर्रेजात में दर्शाये गये तकास्मे में अपनी सहमति व्यक्त की गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में प्रश्नगत आराजी का

उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज०)

तकास्मा किये जाने एवं प्रश्नगत आराजी के संबंध में स्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने का अनुतोष चाहा गया है। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 अनुसार ग्राम भंडाना तहसील दौसा स्थित प्रश्नगत आराज़ी वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 की संयुक्त खातेदारी भूमि है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 ने तहसीलदार दौसा द्वारा प्रस्तुत कुर्रेजात में दर्शाये गये तकास्मे में अपनी सहमति व्यक्त की है। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत् तकास्मा व स्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम भंडाना तहसील दौसा स्थित आराजी खसरा नम्बर 1264, 1708/1261, 1710/1262, 1712/1263, 1714/1265, 1717/1265, 1720/1267 कुल किता 7 कुल रकबा 0.7775 है॰ एवं खसरा नम्बर 1707/1261, 1709/1262, 1711/1263, 1716/1265, 1722/1267 कुल किता 5 कुल रकबा 0.2000 है॰ का तकास्मा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के मध्य निम्नानुसार किया जाकर उभय पक्षों को एक–दूसरे के क्षेत्र में दखलंदाजी नहीं करने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है :–

क्र.सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा (है॰)
1.	1. धारासिंह पुत्र विजयसिंह हि॰ 3/16 जाति गूजर राहिन BOB शाखा भण्डाना 2. रामधन पुत्र भोरया हि॰ 1/2 जाति गूजर सा॰देह खातेदार 3. रामसिंह पुत्र विजयसिंह हि॰ 3/16 जाति गूजर राहिन BOB शाखा भण्डाना 4. रोशन पुत्री विजयसिंह हि॰ 1/16 जाति गूजर राहिन BOB भण्डाना 5. लाडादेवी पत्नी विजयसिंह हि॰ 1/16 जाति गूजर राहिन BOB भण्डाना	1709/1262	0.0050
2.	1. धारासिंह पुत्र विजयसिंह हि॰ 3/14 जाति गूजर राहिन BOB शाखा भण्डाना सा॰देह खातेदार 2. रामधन पुत्र भोरया हि॰ 1/2 जाति गूजर सा॰देह खातेदार 3. रामसिंह पुत्र विजयसिंह हि॰ 3/14 जाति गूजर राहिन BOB शाखा भण्डाना सा॰देह खातेदार 4. लाडादेवी पत्नी विजयसिंह हि॰ 1/14 जाति गूजर राहिन BOB शाखा भण्डाना सा॰देह खातेदार	1707/1261 1711/1263 1716/1265 1722/1267	0.0500 0.0200 0.0550 0.0700
3.	1. रोशन पुत्री विजयसिंह हि॰ पूर्ण जाति गूजर सा॰देह खातेदार	1708/1261/1 1710/1262/1 1712/1263/1 1264/1	0.0100 0.0166 0.0526 0.0300
4.	1. धारासिंह पुत्र विजयसिंह हि॰ 3/7 जाति गूजर सा॰देह खातेदार 2. रामसिंह पुत्र विजयसिंह हि॰ 3/7 जाति गूजर सा॰देह खातेदार 3. लाडादेवी पत्नी विजयसिंह हि॰ 1/7 जाति गूजर सा॰देह खातेदार	1708/1261/2 1710/1262/2 1712/1263/2 1714/1265 1717/1265 1720/1267 1264/2	0.0630 0.0284 0.0274 0.1700 0.2395 0.1300 0.0100

Signature Not Verified
Digitally signed by Moolchand Suniya
Date: 2025.10.08 17:38:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज॰)

प्रकरण संख्या : 22/2023
रोशन बनाम धारासिंह वगै.
निर्णय दिनांक : 27.01.2025

निर्णयानुसार पर्चा अन्तिम डिक्री जारी हो। पालनार्थ तहसीलदार दौसा को तहरीर जारी हो। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय मेरे द्वारा खिलवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

(मूलचन्द लूणिया)
उपखण्ड अधिकारी, दौसा
उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज०)

उपखण्ड अधिकारी ... मजिस्ट्रेट ... दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Moolchand Luniya
Date: 2025.10.08 17:38:34 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई
(ओर्डर 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम दौसा
व इजलास मूलचन्द लूणिया आर.ए.एस.

1. रोशन पुत्री विजयसिंह जाति गुर्जर, निवासी भंडाना तहसील दौसा जिला दौसा

वादी

वनाम

1. धारासिंह पुत्र विजयसिंह जाति गुर्जर, निवासी भंडाना तहसील दौसा जिला दौसा
2. रामसिंह पुत्र विजयसिंह जाति गुर्जर, निवासी भंडाना तहसील दौसा जिला दौसा
3. लाडादेवी पत्नी विजयसिंह जाति गुर्जर, निवासी भंडाना तहसील दौसा जिला दौसा
4. रामधन पुत्र भौरया जाति गुर्जर, निवासी भंडाना तहसील दौसा जिला दौसा
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दौसा
6. उप पंजीयक दौसा
7. बैंक ऑफ बडौदा भंडाना जरिये शाखा प्रबन्धक

प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड मजिस्ट्रेट दौसा जिला दौसा

वाद तकास्मा व स्थायी निषेधाज्ञा
मुकदमा नम्बर : 22/2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू मूलचन्द लूणिया आर.ए.एस. एवं हाजरी श्री प्रदीप कुमार विजयवर्गीय अधिवक्ता वादी, श्री मुकेश कसाना अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि ग्राम भंडाना तहसील दौसा स्थित आराजी खसरा नम्बर 1264, 1708/1261, 1710/1262, 1712/1263, 1714/1265, 1717/1265, 1720/1267 कुल किता 7 कुल रकबा 0.7775 है. एवं खसरा नम्बर 1707/1261, 1709/1262, 1711/1263, 1716/1265, 1722/1267 कुल किता 5 कुल रकबा 0.2000 है. का तकास्मा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के मध्य निम्नानुसार किया जाकर उभय पक्षों को एक–दूसरे के क्षेत्र में दखलंदाजी नहीं करने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है :–

क्र.सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा (है.)
1.	1. धारासिंह पुत्र विजयसिंह हि. 3/16 जाति गूजर राहिन BOB शाखा भण्डाना 2. रामधन पुत्र भोरया हि. 1/2 जाति गूजर सा.देह खातेदार 3. रामसिंह पुत्र विजयसिंह हि. 3/16 जाति गूजर राहिन BOB शाखा भण्डाना 4. रोशन पुत्री विजयसिंह हि. 1/16 जाति गूजर राहिन BOB भण्डाना 5. लाडादेवी पत्नी विजयसिंह हि. 1/16 जाति गूजर राहिन BOB भण्डाना	1709/1262	0.0050
2.	1. धारासिंह पुत्र विजयसिंह हि. 3/14 जाति गूजर राहिन BOB शाखा भण्डाना सा.देह खातेदार 2. रामधन पुत्र भोरया हि. 1/2 जाति गूजर सा.देह खातेदार 3. रामसिंह पुत्र विजयसिंह हि. 3/14 जाति गूजर राहिन BOB शाखा भण्डाना सा.देह खातेदार 4. लाडादेवी पत्नी विजयसिंह हि. 1/14 जाति गूजर राहिन BOB शाखा भण्डाना सा.देह खातेदार	1707/1261 1711/1263 1716/1265 1722/1267	0.0500 0.0200 0.0550 0.0700
3.	1. रोशन पुत्री विजयसिंह हि. पूर्ण जाति गूजर सा.देह खातेदार	1708/1261/1 1710/1262/1 1712/1263/1 1264/1	0.0100 0.0166 0.0526 0.0300
4.	1. धारासिंह पुत्र विजयसिंह हि. 3/7 जाति गूजर सा.देह खातेदार 2. रामसिंह पुत्र विजयसिंह हि. 3/7 जाति गूजर सा.देह खातेदार 3. लाडादेवी पत्नी विजयसिंह हि. 1/7 जाति गूजर सा.देह खातेदार	1708/1261/2 1710/1262/2 1712/1263/2 1714/1265 1717/1265 1720/1267 1264/2	0.0630 0.0284 0.0274 0.1700 0.2395 0.1300 0.0[illegible]00

Signature Not Verified
Digitally signed by Moolchand Luniya
Date: 2025.10.08 17:38:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज०)

तहसीलदार दौसा डिक्री अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल–दरामद करे।
निज ———— मुबलिग ————— बाबत ———— खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद वशरह ——————— फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ———— अदा करें।
बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 27.01.2025 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत
ओहदा
उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज0)

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओर्डर 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम दौसा

मुकदमा नम्बर : 22/2023

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	0	0	स्टाम्प अर्जी दावा	0	0
स्टाम्प वकालत नामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजह सबूत	0	0	महन्ताना वकील	0	0
महन्ताना वकील	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	फीस कमिश्नर	0	0
फीस कमिश्नर	0	0	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0	मुतफरिक	0	0
मुतफरिक	0	0			
मीजान	0	0	मीजान	0	0

नोट : इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Moolchand Luniya
Date: 2025.10.08 17:38:34 IST
Reason: SelfAttested